2015 का विधेयक संख्यांक 213

[दि वेस्ट सेग्रेगेशन एंड कलेक्शन बिल, 2015 का हिन्दी रूपान्तर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

अपशिष्ट पृथक्करण और संग्रहण विधेयक, 2015

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण और संग्रहण से संबंधित मानकों को विहित करके तथा नागरिकों एवं नगरपालिका प्राधिकरणों पर कर्तव्यों का निर्धारण करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

यत: मानव पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए समुचित उपाय करने के लिए स्टॉकहोम में जून, 1972 में आयोजित मानव पर्यावरण संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसमें भारत ने भाग लिया था, में निर्णय लिए गए थे:

और यत: यह आवश्यक समझा गया है कि उपर्युक्त सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित किया जाए जहां तक वे पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा मानव, अन्य जीवों, पादपों और संपत्ति को संकट के निवारण से संबंधित हैं:

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अपशिष्ट पृथक्करण और संग्रहण विधेयक, 2015 है।

(*2*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''समुचित सरकार'' से किसी राज्य के मामले में उस राज्य की सरकार तथा अन्य सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ख) ''नगरपालिका प्राधिकरण'' से अभिप्रेत है म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी नगरपालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल जिसमें अधिसूचित क्षेत्र समिति (एनएसी) या प्रासंगिक परिनियमों के अधीन गठित अन्य कोई स्थानीय निकाय शामिल है, और जहां नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रबंध और संभलाई को ऐसे अभिकरण को सौंपा गया, है;

(ग) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(घ) ''पृथक्'' से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुन: चक्रणीय और परिसंकटमय अपशिष्ट में पृथक् करना अभिप्रेत है।

कूड़ा-कचरा फैलाने पर प्रतिषेध।

3. कोई भी व्यक्ति कूड़ेदानों अथवा नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा सीमांकित अपशिष्ट संग्रहण केन्द्रों को छोड़कर सार्वजनिक स्थान अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर किसी भी घरेलू अपशिष्ट को नहीं फैंकेगा अथवा डालेगा।

प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य।

4. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह निपटान के पूर्व घरेलू अपशिष्ट को पृथक् करे।

नगरपालिका प्राधिकरण के उत्तरदायित्व।

5. नगरपालिका प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(*i*) घरों से पृथक् किए गए अपशिष्ट के आगे उपचार और निपटान के लिए उसका संग्रहण सुनिश्चित करेगा;

(*ii*) संग्रहण केन्द्रों के रूप में सीमांकित स्थान अधिसूचित करेगा;

(*iii*) स्थानीय निवासियों के लिए ऐसे अंतराल पर, जो विहित किया जाए, अपशिष्ट के पृथक्करण से संबंधित शैक्षिक और सूचना संबंधी कार्यकलाप संचालित करेगा; और

(*iv*) नागरिकों को सफाई के लिए प्रोत्साहित करने हेतु समय-समय पर सफाई अभियान आयोजित करेगा।

ठोस अपशिष्ट के संग्रहण के लिए न्यूनतम मानक और आवश्यकता।

6. (*1*) समुचित सरकार ठोस अपशिष्ट के संग्रहण के लिए न्यूनतम मानक और आवश्यकता ऐसी रीति से निर्धारित करेगी जो विहित की जाए।

(*2*) विशेष रूप से और पूर्व उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यूनतम मानकों में निम्नलिखित का उपबंध होगा:—

(क) सभी संग्राहकों एवं ठोस अपशिष्ट के संग्रहण से सीधे जुड़े अन्य कर्मियों को नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से निपटने के खतरों से स्वयं को संरक्षित करने के लिए उपकरण;

(ख) ठोस अपशिष्ट की समुचित संभलाई सुनिश्चित करने के लिए संग्राहकों और कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण; और

(ग) नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा निर्धारित संग्रहण स्थलों पर ठोस अपशिष्ट के बिखराव या प्रकीर्णन और कूड़ेदान को क्षति पहुंचने से रोकने के लिए ठोस अपशिष्ट के संग्रहण के तरीके।

शास्ति।

7. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसी अवधि, जो छह माह तक की हो सकेगी के कारावास से और जुर्माने, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।

केन्द्रीय सरकार अपेक्षित निधि प्रदान करेगी।

8. केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा विधि के माध्यम से उचित विनियोग किए जाने के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को अपेक्षित निधि उपलब्ध कराएगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।

9. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम के अतिरिक्त किसी अन्य विधि के फलस्वरूप प्रभावी किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

10. इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम से संबंधित किसी विषय का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में। अधिनियम का अन्य विधियों का अनुपूरक होना।

11. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(*2*) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र अथवा आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन अथवा उसे बातिल करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी होगा। किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत में हर वर्ष लगभग 60 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है। केवल महानगरों में ही दस मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है। इन नगरों में अधिकतर कचरा भराई स्थल में पहले से अधिक भराई हो चुकी है तथा इनमें और कचरा अपशिष्ट को खपाने की जगह नहीं बची है। अधिकतर कचरा भराई स्थलों के ओवरफ्लो होने का कारण है – वर्तमान अपशिष्ट निपटान प्रणाली की अकुशलता। कचरे का प्रभावी प्रबंध बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य पर इसका बेहद गंभीर प्रभाव पड़ता है। भारत में मिथेन गैस का लगभग 20 प्रतिशत उत्सर्जन कचरा भराई स्थलों से होता है। अकार्बनिक अपशिष्ट की सड़न से भू–जल दूषित होता है। जब वर्षा जल किसी कचरा भराई स्थल में घुस जाता है तब निक्षालन की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है।

अपशिष्ट निपटान प्रणाली में अकुशलता का समाधान स्रोत स्थल पर अपशिष्ट को पृथक करके ही किया जा सकता है। विनिर्माण और ध्वंस अपशिष्ट जैसे पुनर्चक्रीय अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट जैसे कार्बनिक अपशिष्ट तथा चिकित्सा अपशिष्ट जैसे विषैले अपशिष्ट को पृथक करने की आवश्यकता होती है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए ''स्वच्छ भारत अभियान'' नागरिकों को समुदाय को प्रदूषित न करने की ओर प्रोत्साहित करते हैं तथा स्वच्छता बनाए रखने के लिए कूड़ेदान के और अधिक प्रयोग की ओर प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन अपशिष्ट के पृथक्करण के प्रति जागरूकता अभी भी दूर की बात है। शहर को स्वच्छ करने से भी पहले जरूरी है कि सरकार ऐसी घन अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली बनाए जो पृथक्करण ओर पुनर्चक्रण सुनिश्चित करती हो।

विधेयक का उद्देश्य सरकार, नगरपालिका प्राधिकरणों एवं नागरिकों की भूमिका एवं जवाबदेही की सुस्पष्ट रूपरेखा खींचकर अपशिष्ट प्रबंध मुद्दे को विधायी गति प्रदान करना है। विधेयक का आशय प्रभावी अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए अपशिष्ट के संग्रहण से जुड़े संग्राहकों एवं कर्मियों के लिए आवश्यक मानक उपलब्ध कराना भी है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली; सुप्रिया सुले

29 जून, 2015

8 आषाढ़, 1937 (शक)

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 5 अपशिष्ट पृथक्करण को बढ़ावा देने के लिए नगरपालिका प्राधिकरणों द्वारा कुछेक कदम उठाने की पहल किए जाने का उपबंध करता है। खण्ड 6 ठोस अपशिष्ट के संग्रहण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित संग्राहकों एवं अन्य कर्मियों के लिए उपकरणों, आवश्यक प्रशिक्षण का उपबंध करता है। खंड 8 यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार इस विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त निधि उपलब्ध कराएगी। अत:, विधेयक के अधिनियमित होने पर भारत की संचित निधि में से व्यय होगा। इस पर लगभग पांच सौ करोड़ रुपए प्रति वर्ष का आवर्ती व्यय होने का अनुमान है।

इस पर लगभग सौ करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय होने की भी संभावना हैं।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 11 केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। चूंकि नियम केवल ब्यौरे के मामलों से संबंधित होंगे, इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण और संग्रहण से संबंधित
मानकों को विहित करके तथा नागरिकों एवं नगरपालिका प्राधिकरणों
पर कर्तव्यों का निर्धारण करने तथा उससे संबंधित या
उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
विधेयक

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—1474LS(S3)—30.07.2015.